राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 55/2014
डॉ. प्रेम रतन वाल्मिकी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्स एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर जोन, बीकानेर।
4. अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (FW), भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण पुराना है। इस कारण से अपील का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है। इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 05.03.2013 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से एपीए का आहरण करने पर जांच दल द्वारा वसूली योग्य राशि 1,23,590/– रूपये मानी है एवं वसूली की कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी का पद पूर्व में जिला टीकारण अधिकारी के नाम से सृजित था जिस पर एन.पी.ए. देय था, फिर इसका नाम परिवर्तन कर जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी का नाम दिया गया। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि उक्त पद पर समान कार्य होने के कारण अपीलार्थी ने कोई प्रेक्टिस नहीं की थी।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2008 के अनुसरण में जिला इम्यूनाईजेशन अधिकारी/मातृ शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता देय नहीं है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2011, जो दिनांक 01.08.2011 से प्रभावी है, के क्रम संख्या– 55 पर Senior Medical Officer posted as District Reproductive and Child Health

Officer को नियमानुसार नॉन–प्रैक्टिसिंग भत्ता देय है। अपील के साथ संलग्न एनेक्जर–1 व 2 के द्वारा पारित एनपीए वसूली के निर्देश आन्तरिक जॉच दल प्रतिवेदन के पैरा संख्या– 10 के अनुसरण में जारी किये गये हैं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के पद पर दिनांक 01.08.2011 से पूर्व नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप नियमविरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आहरित राशि वसूली योग्य है

3. पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.08.2008 की पालना में की गयी है, जिस आदेश में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता देय नहीं होना माना गया है। कर्मचारी कोई भी भत्ता सरकार द्वारा अनुज्ञेय होने पर ही प्राप्त कर सकता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी के पद पर एनपीए का भत्ता देय नहीं है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही किये जाने में कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं।
4. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)